

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

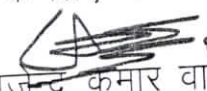
// आदेश //

क्रमांक A/1255 /

जबलपुर, दिनांक 09/06/2020

श्रीमति पूनम मानेकर, पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय से 3 वर्षीय (6 सेमेस्टर) कोर्स एलएल.बी में नियमित रूप से सत्र 2020-21" में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

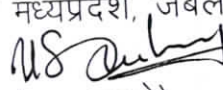
1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेंद्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/1256 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 09/06/2020

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमति पूनम मानेकर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(यू.एस.दुबे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस
Rar

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/1257 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०६/२०२०

दो-१४-८५/८६ भाग-पांच

कुमारी बरखा झा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का विवाह श्री मोहित शर्मा से संपन्न हो जाने के फलस्वरूप उनका नाम कुमारी बरखा झा आत्मजा श्री वीरेन्द्र शर्मा के स्थान पर "श्रीमती बरखा शर्मा पत्नि श्री मोहित शर्मा" में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः कुमारी बरखा झा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, के समस्त शासकीय अभिलेख में कुमारी बरखा झा आत्मजा श्री वीरेन्द्र शर्मा के स्थान पर "श्रीमती बरखा शर्मा पत्नि श्री मोहित शर्मा" अंकित किया जावे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/1258 /

जबलपुर, दिनांक ०९/०६/२०२०

दो-१४-८५/८६ भाग-पांच

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम (टी.एम.अनुभाग) कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर,
 2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.,
 3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर खण्डपीठ ग्वालियर के डी.डी.ओ. क्रमांक 1412103001 एम्पलाई डेटाबेस में प्रविष्टि कराने हेतु अग्रेषित
 6. जिला कोषालय अधिकारी, ग्वालियर,
 7. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
 8. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 10. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम)(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम)....., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 13. असि. रजिस्ट्रार(एम), समस्त, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 14. एडमिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 15. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/पास बुक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 16. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 17. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 18. कुमारी बरखा झा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, की ओर इस सलाह के साथ की वे अपना पता सेवा अभिलेख में परिवर्तन कराने हेतु पृथक से आवेदन खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.